

खसरा नं. 418/84 की भूमि जो कि एस.बी.आई. बैंक शाखा मांगलोद तहसील जायल के रहन दर्ज है, परन्तु उक्त प्रस्तावित रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ता का अभाव भी सिद्ध पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रस्तावित रास्ता की प्रार्थीगण को आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता ही मुख्य कटाणी मार्ग से निकटतम दूरी का भी है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता अनुसार ही 197 फीट लम्बाई व 13 फीट चौड़ाई में स्वीकृत किये जाने पर सहमति व्यक्त की है एवं अप्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नं. 418/84 का खेत स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के नाम रहन दर्ज है। इसलिए संबंधित बैंक को उक्त रास्ते के संबंध में अवगत कराते हुये। हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के ग्राम गडरिया तहसील जायल के खातेदारी खेत खसरा नं. 385/106 रकबा 7.9156 हैक्टैयर के लिए कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए ग्राम बुरड़ी तहसील जायल के खसरा नं. 418/84 में से 197 फीट लम्बाई व 13 फीट चौड़ाई में माफिक भू.अ. निरीक्षक मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शानुसार स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक : भू.अ./2021/3401 दिनांक 26.08.2021 के प्राप्त मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक उक्त आदेश का अभिन्न भाग रहेगी। निर्णय आदेश की प्रति संबंधित बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मांगलोद को निर्णय/आदेश की प्रति प्रेषित की जावे। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपभोग में आने वाली भूमि के ऐवज में नियमानुसार देय डी.एल.सी. दर के अनुसार प्रतिकर राशि का भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21/9/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।



21/9/2021
(एवीन्द कुमार) कलेक्टर
सहायक कलेक्टर जायल
एवं

उपखण्ड अधिकारी जायल

